Form No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)
Order Sheet

CNR No.

Court of Add. Distt & Session Judge, Makrana, Deedwana-Kuchaman (Raj)

Kind of Case दीवानी मूल

Number of Case 45/2016 CIS No. 194/2019

अब्दुल सलाम व अन्य Versus सरकार

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of complainve of order
26-02-2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा। प्रकरण में दिनांक 19.05.2023 को तनकियात कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी थी। उसके पश्चात दिनांक 13.07.2023, 10.08.2023, 08.09.2023, 12.10.2023, 09.11.2023, 30.11.2023 लगातार पेशियों तक वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 11.01.2024 को वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके पश्चात पत्रावली दिनांक 08.02.2024, 14.03.2024, 18.04.2024, 30.05.2024, 08.08.2024 19.09.2024, 17.10.2024, 14.11.2024, 19.12.2024, 16.01.2025, 30.01.2025, 20.02.2025, 22.05.2025, 31.05.2025, 19.07.2025, 24.07.2025 तक लगातार उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस में अवसर चाहने हेतु नियत रही और उसके पश्चात दिनांक 31.07.2025 को वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया और पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 07.08.2025 को नियत की गयी। दिनांक 07.08.2025 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 14.08.2025 को नियत की गयी। उसके पश्चात दिनांक 14.08.2025 को पुनः साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 28.08.2025 को साक्ष्य वादी में गवाह पी.ड.1 अब्दुल सलाम के बयान लेखबद्ध किये गये, जिनमें वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति करने पर आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात दिनांक 04.09.2025 से 25.09.2025 मे चार पेशियों में पत्रावली उक्त आवेदन के जवाब व बहस हेतु नियत रही। दिनांक 09.10.2025 को वकील वादी ने आपत्ति आवेदन के जवाब हेतु अवसर चाहा और वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 16 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिस पर पत्रावली दिनांक 16.10.2025, 30.10.2025, 01.11.2025 तक तीन पेशियों में उक्त आवेदन के बहस हेतु नियत रहीं। दिनांक 06.11.2025 को वादी ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 16 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण कर खारिज किया गया और पत्रावली दिनांक 13.11.2025, 20.11.2025, 27.11.2025, 11.12.2025, 18.12.2025, 08.01.2025 तक उक्त आपत्ति आवेदन के	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

Number of Case

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer
	जवाब व बहस हेतु नियत रही। दिनांक 15.01.2026 को अस्थ आपत्ति आवेदन का निस्तारण कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 22.01.2026 को नियत की गयी। उसके पश्चात पुनः दिनांक 22.01.2026, 29.01.2026, 19.02.2026 को पत्रावली अं साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 21.02.2026 को गवाह पी.ड. 1 अब्दुल सलाम के बयान लेखबद्ध किये गये और वादी अधिवक्ता को आगामी पेशी पर गवाहान को आवश्यक रूप से उपस्थित रखने की हिदायत दी गयी थी, परंतु आज फिर साक्ष्य वादी में अवसर चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकियात कायम किए जाने के पश्चात से साक्ष्य वादी में वकील वादी ने बार-बार साक्ष्य हेतु अवसर चाहे हैं और प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। चूंकि पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरणों की सूची में नंबर 08 पर है जिसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं, अतः वकील वादी को 3000/- रुपये की कोस्ट पर साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि साक्ष्य वादी में अपने समस्त साक्ष्य के शपथ पत्र पेश करें व गवाह को उपस्थित रखे और प्रतिवादी जिरह हेतु तैयार रहे। उक्त कोस्ट की राशि Registrar General LWFA, Rajasthan High Court के SBI Bank Branch Jhalamand, Jodhpur Account No. 41673952674 में जमा करवाने हेतु डी.डी. न्यायालय में पेश करें। उक्त कोस्ट राशि की डी.डी. पेश करने पर ही साक्ष्य वादी लेखबद्ध की जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन